फाइल नं0-71-3099/20/2024-03

40/2024/I/517760/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 13 मार्च, 2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में जे0के0 इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर में मानक मद- 21- छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन तथा मानक मद- 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/825, दिनांक 24.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में जे0के0 इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर में मानक मद-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन तथा मानक मद-58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में जे0के0 इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर हेतु संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से मानक मद-21- छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 35.00 लाख तथा मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख, इस प्रकार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैतालिस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) धनराशि को कोषागार से संस्थान/मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050501 जेइन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी .के. एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर **मानक मद** 21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन (*2*) रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050501 जेट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुरइन्स्टी.के. **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।